



रा.रा. श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० केम ड्रॉट

सिग 13603-PBR-15

116

मदनलाल पिता स्व. शंकरलाल जी

आयु 85 साल धंधा कृषि

निवासी ग्राम सिमरोल तह. महु जिला इंदौर प्रतिप्राथी/रिवीजनकर्ता

विस्त

उगन पिता स्व. शंकरलाल जी

आयु 92 साल धंधा रिटायर्ड

निवासी 15/2 मोती तबेला इंदौर

प्रार्थी/रिस्पॉडेन्ट

रिवीजन अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता

रिवीजनकर्ता के द्वारा यह रिवीजन याचिका अधी० न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय अंबेकरनगर महु के द्वारा प्रकरण क्र. 16 अ 6 अ०/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2015 जिसके माध्यम से रिवीजनकर्ता की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी का विरस्त किया गया है से पीडित होकर यह रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है ।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि प्रतिप्राथी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 115, 116 म०प्र० भू राजस्व संहिता के अंतर्गत दिनांक 16.4.2015 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार तथाकथित रूप से आवेदन चरण 4 एवं 5 में यह उल्लेख किया गया है कि सन् 1950-51 में हुई राजस्व अभिलेखों में टुट्टि को उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है जबकि रिवीजनकर्ता के द्वारा अधी० न्यायालय के समक्ष सन् 1950 से लेकर वर्तमान तक के

Handwritten signature at the bottom of the page.



Handwritten notes on the left margin: 'श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० केम ड्रॉट 13/10/15 के द्वारा'.

Handwritten notes on the left margin: 'CP 17.11.15' and 'द्वारा'.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

पकरण क्रमांक निगरानी 3603-पीबीआर/2015 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: right;"> 30/5/19</p>